



## बिहार विधान परिषद

(203 बजट सत्र)

31 मार्च 2023

----

[शिक्षा - खान एवं भूतत्व - कला, संस्कृति एवं युवा विज्ञान एवं प्रावैधिकी].

कुल प्रश्न 28

----

वेतन भुगतान कबतक

\*432 श्री अजय कुमार सिंह (सहरसा स्थानीय प्राधिकार):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, लालूनगर, मधेपुरा में वर्ष 2017 में 86 कर्मियों की स्थाई नियुक्ति हुई थी;

(ख) क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में नियुक्त 86 कर्मियों के वेतन भुगतान का आदेश दिया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा के 86 कर्मियों का वेतन भुगतान करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

----

अधिसूचना निर्गत

\*438 मो. फारूक (विधान सभा):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी का पद महीनों से

रिक्त है एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, शिवहर को सीतामढ़ी का अतिरिक्त प्रभार देने के कारण दोनों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि अब तक सीतामढ़ी में जिला शिक्षा पदाधिकारी का पदस्थापन नहीं होने के कारण स्थापना, लेखा, विद्यालय निरीक्षण सहित अनेकानेक कार्य लंबित पड़े हुए हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पद पर शीघ्र पदस्थापन अथवा जिला के किसी वरीय कार्यक्रम पदाधिकारी को जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी का प्रभार सौंपने संबंधी अधिसूचना निर्गत करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

----

### वेतन का भुगतान

\*522 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सूबे के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित 1128 कोटि के मदरसों में नियुक्त विज्ञान शिक्षकों को अभी तक छः वर्षों में लगभग चार-पांच माह का वेतन ही मिला है अथवा कहीं मनमाने रूप से किन्हीं-किन्हीं मदरसों को वेतन/मानदेय दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि इन शिक्षकों का मानदेय/वेतन मात्र छः हजार रु. प्रतिमाह ही निर्धारित है जिसके कारण अपने आश्रितों के भरण-पोषण में उन्हें भारी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी के साथ-साथ बकाये मानदेय/वेतन का भुगतान अतिशीघ्र करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

----

### विद्यालयों की मरम्मती पर विचार

\*523 श्री महेश्वर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पताही प्रखंड के मध्य विद्यालय, महम्मदपुर, बड़ाशकर, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, परसौनी कपूर, कन्या मध्य विद्यालय, नन्हकार, प्राथमिक विद्यालय, हरभंगा, जुल्फेकाराबाद सहित अन्य विद्यालयों के भवन व वर्ग कक्षा जर्जर हैं;

(ख) क्या यह सही है कि वर्षों से जर्जर इन विद्यालयों के भवनों की मरम्मती के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को अवगत कराया गया है, परन्तु आज तक मरम्मती नहीं हो सकी है;

(ग) क्या यह सही है कि विद्यालय भवनों के सीलिंग से सीमेंट के टुकड़े टूट-टूटकर गिरते रहते हैं, जिससे बच्चों के घायल होने की आशंका बनी रहती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पताही प्रखंड में जर्जर विद्यालयों की मरम्मती कबतक कराने पर विचार रखती है?

----

### ठोस कदम पर विचार

\*524 डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मगध विश्वविद्यालय तथा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का सत्र विलंब रहने के कारण इस विद्यालय में पढ़ाई कर रहे छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है;

(ख) क्या यह सही है कि मगध विश्वविद्यालय में स्नातक 2018-21 सत्र में अभी तक तृतीय सत्र की परीक्षा, 2019-22 सत्र में द्वितीय सत्र की परीक्षा तथा 2018-20 सत्र में स्नातकोत्तर की चौथे सेमेस्टर की परीक्षा नहीं हुई है एवं इसी तरह सभी सत्र विलंब से चल रहे हैं;

(ग) क्या यह सही है कि मगध विश्वविद्यालय और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का स्नातक एवं स्नातकोत्तर का सत्र विलंब होने के कारण लाखों की संख्या में छात्र व छात्राएं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में समय पर शामिल नहीं हो पाते हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मगध विश्वविद्यालय तथा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का सत्र नियमित करने के लिए ठोस कदम उठाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

----

## समुचित संरक्षण पर विचार

\*525 श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि केंद्रीय पुस्तकालयों का दर्जा प्राप्त सच्चिदानंद सिन्हा लाईब्रेरी, पटना कर्मचारियों की कमी एवं राशि के अभाव के कारण अपनी पहचान खोती जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि राशि आवंटन नहीं होने के कारण वेबसाइट पर डिजिटाइज किए गए पुराने अखबारों एवं पांडुलिपियों को अपलोड नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कर्मचारियों की कमी एवं विगत कई वर्षों से राशि की कमी से जूझ रही सिन्हा लाईब्रेरी को समुचित संरक्षण देना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

----

## कॉलेज का जीर्णोद्धार

\*526 प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत इनकम टैक्स गोलम्बर के पास मंदिरी में हथुआ राज संस्कृत महाविद्यालय अवस्थित है जो राज्य सरकार के अधीन है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कॉलेज की जमीन को दबंग अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया है, कॉलेज बिल्कुल बंद पड़ा है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त महाविद्यालय की स्थिति काफी जीर्ण-शीर्ण है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यथाशीघ्र कॉलेज की जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराते हुए उक्त कॉलेज का अविलम्ब जीर्णोद्धार कराना चाहती है, ताकि कॉलेज खुले और पढ़ाई नियमित रूप से हो सके, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

----

## भवन का निर्माण

\*527 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गया जिले का प्राथमिक विद्यालय कंडी एवं बीथो का भवन

अत्यंत जर्जर हो चुका है;

(ख) क्या यह सही है कि किसी भी समय बच्चों के साथ असामयिक दुर्घटना घट सकती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड 'क' में वर्णित विद्यालय का भवन निर्माण कब तक कराना चाहती है?

----

### NAAC की मान्यता

**\*528 श्री सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिएशन काउंसिल (NAAC) रेटिंग से स्टूडेंट्स को शिक्षण संस्थान के बारे में सही जानकारी मिलती है, छात्रों को संस्थान के बारे में शिक्षा की गुणवत्ता, अनुसंधान, बुनियादी ढांचा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी जानकारी हासिल करने में आसानी होती है, नैक ग्रेडिंग के जरिए छात्र अपने लिए बेहतर कॉलेज तलाश कर सकते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि यूजीसी की नई गाइडलाइन के तहत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिएशन काउंसिल (NAAC) से मान्यता प्राप्त करना जरूरी है;

(ग) क्या यह सही है कि वर्तमान स्थिति में बिहार राज्य का एक भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जिसे नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिएशन काउंसिल (NAAC) द्वारा ए ग्रेड की रेटिंग प्राप्त हो;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार विश्वविद्यालयों के शिक्षा की गुणवत्ता, अनुसंधान, बुनियादी ढांचा और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हेतु क्या प्रयास कर रही है, जिससे उच्च शिक्षण संस्थानों को हायर रेटिंग प्राप्त हो सके ?

----

### विधि कॉलेज खोलने की व्यवस्था

**\*529 श्री संजय पासवान (विधान सभा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के 38 जिलों के 534 अंचलों में एक-एक विधि कॉलेज खोलकर संचालित करने की अति आवश्यकता है;

(ख) क्या यह सही है कि गया जिला के मोहड़ा अंचल के कजूर ग्राम में एक भी विधि

कॉलेज न रहने के कारण स्थानीय छात्र-छात्राओं को विधि की पढ़ाई पूरी करने हेतु शरणार्थी की भांति अन्यत्र जाना पड़ता है;

(ग) क्या यह सही है कि गया जिला के मोहड़ा अंचल के कजूर ग्राम के टरोनी टांड पर खाता नं. — 8670, प्लॉट नं. — 95 में स्थानीय लोगों द्वारा बहुत दिनों से विधि कॉलेज खोलने की मांग की जा रही है;

(घ) क्या यह सही है कि राज्य के 38 जिलों के 534 अंचलों में एक-एक सरकारी विधि कॉलेज न रहने के कारण संबंधित सक्षम पदधारक और सक्षम पदाधिकारी संतुष्ट हैं;

(ङ.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'ग' पर अंकित प्लॉट पर एक विधि कॉलेज खोलने के साथ-साथ अन्य प्रत्येक अंचल में एक-एक विधि कॉलेज खोलकर संचालित करने की व्यवस्था करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

----

### सातवां वेतन देने पर विचार

\*530 श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के पंचायती राज संस्थानों में नियुक्त शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राथमिक शिक्षकों को 18510/-, माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को 19540/- तथा उच्च माध्यमिक शिक्षकों को 20560/- बेसिक वेतन दिया गया;

(ख) क्या यह सही है कि इन शिक्षकों के मूल वेतन में 15 प्रतिशत वृद्धि के बाद प्राथमिक शिक्षकों का 21290/-, माध्यमिक एवं पुस्तकालयाध्यक्षों का 22480/- तथा उच्च माध्यमिक शिक्षकों का 23650/- रु० बेसिक वेतन तय किया गया है, जबकि सातवें वेतन के अनुसार बेसिक वेतन प्राथमिक शिक्षकों का 21700/-, माध्यमिक एवं पुस्तकालयाध्यक्षों का 25500/- तथा उच्च माध्यमिक शिक्षकों का 29200/- बेसिक वेतन होना चाहिए जिसके कारण प्राथमिक शिक्षकों को मात्र 410/- माध्यमिक पुस्तकालयाध्यक्षों को 3020/- तथा उच्च माध्यमिक शिक्षकों को 5550/- रु० कम मिल रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सातवें वेतन के अनुसार इन शिक्षकों को 21700/-, 25500/- एवं 29200/- रु० वेतन देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

-----

### खेल का मैदान के जीर्णोद्धार के संबंध में

\*531 श्री अशोक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, नवादा):

क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नवादा शहर से करीब एक किलोमीटर दूरी पर कृष्णा प्रसाद खेल मैदान है, जो खूरी नदी के किनारे अवस्थित है, जिसमें हजारों खिलाड़ी प्रतिदिन खेलने आते हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नवादा के खेल के मैदान को सुव्यवस्थित करने हेतु उसका जीर्णोद्धार करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

-----

### शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त

\*532 श्री अनिल कुमार (विधान सभा):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सूबे में अभी तक संचालित/स्थापित प्राथमिक, मध्य विद्यालयों में से 1885 विद्यालयों के पास अपनी भूमि नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि सूबे में 05 से 15 वर्ष की आयु के लगभग एक करोड़ बच्चे सरकार के प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय से दूर हैं, क्योंकि जहां विद्यालय हैं वहां बच्चे नहीं और जहां बच्चे हैं वहां विद्यालय नहीं हैं;

(ग) क्या यह सही है कि सूबे में 08 लाख छात्रों में मात्र 2,40,000 छात्र ही उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालय में नामांकित होते हैं बाकी छात्र सूबे के शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सूबे में गिरती शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहती है, यदि हां तो किस प्रकार से, कौन सी योजना है?

-----

## प्रभार देने पर विचार

\*533 प्रो. गुलाम गौस (विधान सभा):

क्या मंत्री, **विज्ञान एवं प्रावैधिकी** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य प्रावैधिकी शिक्षा परिषद् के सहायक सचिव को राजकीय पोलिटेक्निक, नवादा के प्राचार्य का प्रभार सौंपा गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त प्रभारी प्राचार्य माह में मात्र एक-दो बार नवादा राजकीय पोलिटेक्निक जा पाते हैं जिससे इस नये संस्थान का कार्य प्रभावित हो रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि पटना से नवादा पोलिटेक्निक की दूरी लगभग 150 कि०मी० तथा नालन्दा और गया पोलिटेक्निक की दूरी मात्र 50 कि०मी० है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नवादा राजकीय पोलिटेक्निक में स्थायी प्राचार्य का पदस्थापन अथवा नालन्दा या गया पोलिटेक्निक के प्राचार्य को वहां का प्रभार देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

-----

## दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई

\*534 श्रीमती रीना देवी (स्थानीय प्राधिकार, नालन्दा):

क्या मंत्री, **शिक्षा** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि श्रीमती शीला कुमारी तथाकथित लिपिक, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, आरा भोजपुर, श्रीमती प्रीति वर्मा तथाकथित परिचारी, राजकीय बुनियादी विद्यालय सरेंजा, बक्सर एवं श्री कमलेश कुमार तथाकथित कार्यालय परिचारी, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, ब्रहमपुर, बक्सर की फर्जी नियुक्ति श्रीमती नीता पाण्डेय तत्कालीन उप निदेशक (मा.शि.) बिहार माध्यमिक शिक्षा कार्यालय, बुद्ध मार्ग, पटना के द्वारा की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि श्रीमती नीता पाण्डेय के विरुद्ध निदेशालय द्वारा प्रपत्र 'क' गठित किये हुए एक वर्ष से अधिक हो गये है पर अंतिम निर्णय लंबित है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्रीमती नीता पाण्डेय के विरुद्ध चल रही कार्रवाई को पूर्ण करते हुए उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज कर दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

----

### कर्मचारियों को स्थायी कबतक

\*535 श्रीमती निवेदिता सिंह (मनोनीत):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के विद्यालय में रात्रि प्रहरी की वार्षिक अनुबंध पर बहाली की जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि रात्रि प्रहरी कर्मचारियों को विद्यालय विकास अनुदान की राशि से मानदेय भुगतान किया जाता है एवं आवंटन अनुपलब्धता के कारण ससमय मानदेय का भुगतान नहीं हो पाता है;

(ग) क्या यह सही है कि रात्रि प्रहरी को किसी भी तरह का अवकाश नहीं दिया जाता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रात्रि प्रहरी कर्मचारियों का स्थायीकरण कर इन्हें राज्यकर्मियों का दर्जा देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

----

### स्नातक महाविद्यालय खोलने पर विचार

\*536 श्री बिनोद कुमार जयसवाल (स्थानीय प्राधिकार, सीवान):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सिवान जिला के गुठनी प्रखंड में स्नातक महाविद्यालय नहीं रहने के कारण गुठनी प्रखंड से 20 किलोमीटर दूर एक मात्र महाविद्यालय मैरवां में है, जहां गुठनी, जीरादेई, नौतन, दरौली प्रखंड के बच्चे पढ़ते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि गुठनी प्रखंड के यहां से 20 किलोमीटर अथवा उत्तर प्रदेश के देवरिया में बच्चे पढ़ने जाते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि कमजोर वर्ग के छात्र गुठनी प्रखंड में स्नातक महाविद्यालय के अभाव में उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं;

(घ) क्या यह सही है कि लोकमान्य तिलक +2 उच्च महाविद्यालय में पर्याप्त जमीन उपलब्ध है, इसमें महाविद्यालय का निर्माण किया जा सकता है;

(ङ.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सिवान जिला के गुठनी प्रखंड में एक स्नातक महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

----

### स्टेडियम का जीर्णोद्धार

\*537 श्री कुमार नागेन्द्र (स्थानीय प्राधिकार, जहानाबाद, गया एवं अरवल):

क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि अरवल जिला के कुर्था प्रखण्ड में स्थित अनुग्रह नारायण स्टेडियम की स्थिति काफी खराब है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त स्टेडियम का जीर्णोद्धार करना चाहती है?

----

### विद्यालय भवन का निर्माण

\*538 श्रीमती अम्बिका गुलाब यादव (मधुबनी स्थानीय प्राधिकार):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला अन्तर्गत रहिका प्रखंड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यालय धर्निया (हरेराम पट्टी) में स्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में भवन निर्माण नहीं होने के कारण इस विद्यालय में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है एवं उनका पठन-पाठन बाधित होता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त भवनहीन विद्यालय के भवन का निर्माण कबतक कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

-----  
**कार्रवाई कबतक**

**\*539 प्रो. (डा.) रामबली सिंह (विधान सभा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी ने दिनांक – 19.10.2022 को मध्य विद्यालय, बसुआरी, प्रखण्ड – घोघरडीहा का औचक निरीक्षण किया था तथा अपने पत्रांक – 5526, दिनांक – 03.11.2022 के द्वारा जो मंतव्य और आदेश निर्गत किया था उसका अनुपालन आज तक नहीं हो पाया है;

(ख) क्या यह सही है कि विद्यालय में एम.डी.एम. पूर्णतः बंद है तथा विद्यालय में जो अराजक स्थिति बन गई है उस आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा दिये गये उक्त मंतव्य और आदेश को स्थानान्तरित पूर्व प्रभारी अध्यापक के द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस दिशा में कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

-----  
**स्मार्ट क्लास शुरू कबतक**

**\*540 डा. दिलीप कुमार जायसवाल (पूर्णिया, अररिया स्थानीय प्राधिकार ):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पूर्णिया जिला के रूपौली प्रखंड अन्तर्गत लगभग 20 पंचायत के विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का संचालन नहीं हो रहा है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पंचायतों के विद्यालयों में स्मार्ट क्लास शुरू करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

-----  
**यथाशीघ्र भुगतान**

**\*541 डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि श्री दयानंद प्रसाद, पिता – श्री सखीचन्द प्रसाद, ग्राम +

पोस्ट – माधोपुर, थाना – चण्डी, जिला – नालंदा की दिनांक – 22.07.2015 को अनुकम्पा के आधार पर प्रखण्ड शिक्षक के पद पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय, अशरफपुर, नगरनौसा, जिला – नालंदा में नियुक्ति हुई है;

(ख) क्या यह सही है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, नालंदा के पत्रांक – 1995, दिनांक – 22.05.2020 द्वारा प्रधानाध्यापक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, अशरफपुर, नगरनौसा एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नगरनौसा, नालंदा को निदेशित किया कि श्री प्रसाद का शैक्षणिक प्रमाण-पत्र फर्जी है, अतः इन्हें विद्यालय में उपस्थिति नहीं बनाने दिया जाए, जबकि श्री प्रसाद लगातार विद्यालय जा रहे हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, इनका शैक्षणिक प्रमाण-पत्र भी सही है;

(ग) क्या यह सही है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के उप सचिव, निगरानी के पत्रांक – 4807, दिनांक – 03.12.2018 एवं इण्टर विद्यालय, बरेब, नवादा के पत्रांक – 34, दिनांक – 18.05.2016 द्वारा श्री प्रसाद के सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं फोटो की जांच की गई जो सत्य एवं सही पाया गया, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी के लीगल सेक्शन के कर्मियों द्वारा इनकी संचिका का निष्पादन अबतक नहीं किया गया है, इस कारणवश इनका लंबित भुगतान अबतक नहीं हो सका है, जिससे सारा परिवार भुखमरी के कगार पर है;

(घ) क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के C.W.J.C. CASE No. – 17401 of 2022 में पारित आदेश में श्री दयानंद प्रसाद, प्रखंड शिक्षक के पक्ष में न्याय-निर्णय हुआ, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र सही पाया, साथ ही लंबित वेतनादि का भुगतान करने का भी आदेश हुआ;

(ङ.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अविलम्ब श्री प्रसाद की सेवा नियमित करते हुए इनके लंबित अवधि का भुगतान यथाशीघ्र करते हुए दोषी कर्मियों एवं पदाधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

-----

### न्यायादेश का अनुपालन पर विचार

\*542 श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार के पत्रांक – 111/c, दिनांक – 18.05.2022 के आलोक में माननीय पटना उच्च न्यायालय

द्वारा पारित न्यायादेश का अनुपालन करने का निदेश दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि CWJC No – 20410/2019 लूनील कुमार केसरी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित न्यायादेश के आलोक में निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना द्वारा दिनांक – 24 सितंबर 2021 को सुनवाई पूरी करने के पश्चात भी कोई निर्णय नहीं दिया गया जिससे अवमानना की स्थिति उत्पन्न हुई;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मामले में पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय आदेश पारित करने एवं न्यायादेश का अनुपालन करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

----

### पढ़ाई प्रारंभ कबतक

**\*543 श्री सच्चिदानंद राय (स्थानीय प्राधिकार, सारण):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सारण जिलान्तर्गत यदुनंदन कॉलेज, दिघवारा, सारण में पोस्ट ग्रेजुएट की प्रतिष्ठा के विषय – अर्थशास्त्र, इतिहास एवं भूगोल की पढ़ाई हेतु कॉलेज के प्राचार्य ने अपने पत्रांक – 74/22 एवं 75/22, दिनांक – 13.06.22 से कुलपति, जय प्रकाश यूनिवर्सिटी, सारण को अनुरोध किया है;

(ख) क्या यह सही है कि 08 माह बाद फरवरी, 2023 तक भी उक्त महाविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई प्रारंभ नहीं हो सकी है जिसके कारण छात्रों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्रों को उच्च शिक्षा दिलाने हेतु उक्त महाविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट के अर्थशास्त्र, इतिहास एवं भूगोल की पढ़ाई प्रारंभ कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

----

### जमीन उपलब्ध करने पर विचार

**\*544 श्री देवेश कुमार (मनोनीत):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि 2015 के पीएम स्पेशल पैकेज के तहत विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई थी, जमीन मुहैया नहीं कराने की वजह से विश्वविद्यालय के स्थापना में अड़चन आ रही है, राज्य सरकार इस केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जमीन मुहैया कराने में असमर्थ क्यों है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है, शैक्षणिक संस्थानों के प्रति सरकार का ऐसा अड़ियल रवैया क्यों है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो राज्य सरकार कबतक इस केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु जमीन मुहैया करायेगी ताकि निर्माण कार्य शुरू किया जा सके ?

-----

### बालिका उच्च विद्यालय का निर्माण

**\*545 श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह (विधान सभा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम अंतर्गत वार्ड संख्या – 56 की छोटी पहाड़ी एवं बड़ी पहाड़ी को मिलाकर एक बड़ी आबादी निवास करती है, जिसमें अधिकतम अति पिछड़ा वर्ग के लोग रहते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि बड़ी पहाड़ी एवं छोटी पहाड़ी की बालिकाओं के लिए आस-पास कोई बालिका उच्च विद्यालय नहीं है;

(ग) क्या यह सही है कि छोटी पहाड़ी में बालिका उच्च विद्यालय हेतु पर्याप्त जमीन भी उपलब्ध है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बालिका उच्च विद्यालय के निर्माण का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

-----

### बकाया भुगतान का विचार

**\*546 श्री अफाक अहमद खां (विधान सभा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अनुदानित 1127 कोटि के मदरसों में कार्य कर रहे विज्ञान शिक्षकों को अप्रैल 2019 से दिसम्बर 2021 तक और नवम्बर 2022 से अबतक मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है जिससे शिक्षकों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गयी है और वे भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अनुदानित मदरसों में नियुक्त एवं कार्यरत विज्ञान शिक्षकों का बकाया मानदेय शीघ्र भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

-----

### विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षक की नियुक्ति

\*547 श्री भूषण कुमार (वैशाली स्थानीय प्राधिकार ):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि वैशाली जिले के राघोपुर प्रखण्ड अंतर्गत रुस्तमपुर पंचायत के राशन राय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 400 विद्यार्थी हैं जबकि 2 ही शिक्षक हैं;

(ख) क्या यह सही है कि 2 शिक्षक हैं जिनमें से एक मिडिल स्कूल के हैं जबकि दूसरे शिक्षक को प्रतिनियुक्त किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षक को नियुक्त करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

-----